

न्यायालय, प्रधान न्यायाधीश, परिवार न्यायालय, गोपालगंज

भरण-पोषण वाद सं०-22 / 2025

अफसाना खातुन आवेदिका
बनाम
इरशाद अली विपक्षी

14.03.2026

उभयपक्ष रा. लोक अदालत के पीठ के समक्ष उपस्थित हुए। विपक्षी इरसाद अली द्वारा आवेदिका अफसाना खातुन को एकमुश्त भरण-पोषण के रूप में मो० दो लाख अस्सी हजार रुपए का भुगतान कर चुके हैं। आवेदिका इस एकमुश्त भरण-पोषण की राशि से पूरी तरह संतुष्ट है। आवेदिका के पिता अब्दुल रहीम भी उपस्थित हैं। उनकी भी सहमति सुलह के आधार पर इस मुकदमा की समाप्त करने में है। अतः आवेदिका व विपक्षी के बीच हुए सुलह-समझौते के आधार पर इस वाद को निष्पादित किया जाता है। आवेदिका भविष्य में विपक्षी के विरुद्ध भरण-पोषण का कोई दावा नहीं करेगी। उनके बीच समस्त विवाद समाप्त हो चुका है।

पीठासीन पदाधिकारी